2012:CG.SC:9975

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

दांडिक अपील संख्या 2127 / 1997

अपीलार्थी, घनश्याम केशरवानी

(आरोपी जमानत पर**)**

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु 29 अगस्त, 2012 को सूची बद्ध करें

सही**/-**

मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

2012:CG.SC:9975

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

दांडिक अपील संख्या 2127 / 1997

अपीलार्थी,	घनश्याम केशरवानी
(आरोपी जमानत पर)	
	बनाम
प्रत्यर्थी	मध्य प्रदेश राज्य

उपस्थित:

श्री एस. सी. वर्मा, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री राकेश झा, राज्य के उप शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(दिनांक **29-08-2012** को दिया गया)

1.यह अपील दुर्ग के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा विशेष मामला संख्या 1/93 में दिनांक 30-09-1997 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश के आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 12 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया गया है और उसे छह महीने के कठोर कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है, और जुर्माना न भरने की स्थिति में चार महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

2.संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि सुसंगत समय पर, अपीलार्थी -आरोपी मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (संक्षेप में "निगम") की सेवा में दुर्ग डिपो में कंडक्टर के पद पर पदस्थ और कार्यरत था।

2012:CG.SC:9975

सात यात्रियों को बिना टिकट ले जाने के आरोप में, अपीलार्थी के विरुद्ध विभागीय जांच शिकायतकर्ता के. बी. सिंह, आ.सा.13 के पास लंबित थी, जो भोपाल में डिपो प्रबंधक, जांच शाखा (3) के पद पर पदस्थ थे। लंबित जांच में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए, यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता के. बी. सिंह, , आ.सा.13 के पक्ष में 1,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भेजकर और दिनांक 27-10-1988 के अनुरोध पत्र के साथ पंजीकृत डाक (पावती सहित) द्वारा शिकायतकर्ता को भेजकर 1,000 रुपये की रिश्वत की पेशकश की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता को यह पत्र दिनांक 31-10-1988 को प्राप्त हुआ। इसके बाद शिकायतकर्ता ने मुख्य विधिक सलाहकार को सूचित किया। निगम के सलाहकार और प्रबंध निदेशक को विभाग द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए जाने पर, दिनांक 17-11-1988 की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-5) को पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता आयोग, भोपाल के समक्ष दिनांक 27-10-1988 के बैंक ड्राफ्ट, अपीलकर्ता के दिनांक 27-10-1988 के पत्र और पंजीकृत डाक के लिफाफे के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसमें पत्र और बैंक ड्राफ्ट प्राप्त हुए थे। रिपोर्ट प्राप्त होने पर, विशेष पुलिस स्थापना द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 165-ए के तहत अपराध करने के आरोप में अपराध संख्या 227/88 के अंतर्गत एफआईआर (प्रदर्श पी -6) दर्ज की गई। इसके बाद, विशेष पुलिस स्थापना द्वारा (प्रदर्श पी -1 के माध्यम से) मामले की जांच की गई और आधिकारिक कामकाज के दौरान अपीलार्थी द्वारा लिखे गए कई दस्तावेज (प्रदर्श पी -1 और P-2 के माध्यम से) जब्त किए गए। डिमांड ड्राफ्ट तैयार करने का आवेदन (प्रदर्श पी -3 के माध्यम से) जब्त किया गया। अपीलार्थी के विरुद्ध लंबित विभागीय जांच प्रकरण संख्या 254/1988 के अभिलेख (प्रदर्श पी-4) जब्त किए गए। दिनांक 27-10-1988 का आवेदन और वह लिफाफा, जिसमें कथित रूप से भेजा गया मसौदा और पत्र, साथ ही अपीलकर्ता के हस्ताक्षर और आधिकारिक लेनदेन के दौरान अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से लिखे गए अन्य लिखित दस्तावेज, संदिग्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दस्तावेजों की हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा जांच के लिए भेजे गए। दिनांक 26-05-1989 को राज्य के संदिग्ध दस्तावेजों के परीक्षक की राय (प्रदर्श पी-35) और राय के कारण (प्रदर्श पी-36) दिनांक 31-05-1989 के पत्र (प्रदर्श पी-37) के माध्यम से प्राप्त हुए। हस्तलेख विशेषज्ञ की राय में, नमूना हस्तलेख और हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के थे, जिसने बैंक में मसौदे के लिए आवेदन किया था और जिसने दिनांक 27-10-1988 का पत्र लिखा था और उस पर टिप्पणी की थी, साथ ही जिसने पंजीकृत लिफाफे पर भी लिखा था। जांच पूरी होने के बाद, दुर्ग स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में धारा 12 और भा.द.स. की धारा 165 (ए) के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में मौजूद सबूतों के आधार पर, अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 12 के तहत अपराध का आरोप विराचित किया। अपीलार्थी ने अपराध स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग की। अ.सा.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल 14 गवाहों का परीक्षण किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पी. फिलिप्स, अ.सा..1, राम लाल देवांगन, अ.सा..2, ज्ञानचंद कोठारी, अ.सा..3, चंद्रकांत फुलझेले, अ.सा..4, हरि प्रकाश व्योहर, अ.सा. 5, राजकुमार गांधी, अ.सा. .6, बी. पी. द्विवेदी, अ.सा. .7, हरि प्रसाद उसराते, अ.सा. 8, एस. एल. धरसे, अ.सा. 9, मणिक्रम नागपुरे, अ.सा. 10, ओ बी. बिलगयिन्या, अ.सा. 11, छोटे लाल सिंह,अ.सा. 12, के. बी. सिंह, अ.सा. 13 और बी.आई.आर. नायडू, अ.सा. 14। अपीलार्थी से उसके विरुद्ध मौजूद अभियोगात्मक साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ की गई, जिस पर अपीलार्थी ने कहा कि पूछताछ के दौरान उसे माफ़ करने के बदले 6,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी और अपनी नौकरी बचाने के लिए उसने किसी तरह 1,000 रुपये का इंतजाम किया, जिसे पंजीकृत डाक द्वारा ड्राफ्ट के माध्यम से भेजा गया था, इसलिए उसने कोई अपराध नहीं किया है। अपने बचाव के समर्थन में, अपीलकर्ता ने यशपाल गुप्ता को एकमात्र बचाव गवाह के रूप में पेश किया।

2012:CG.SC:9975

4. अभियोजन पक्ष के मामले और उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए और साथ ही बचाव पक्ष पर अविश्वास करते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 12 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया और उसे छह महीने के कठोर कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना न भरने की स्थिति में चार महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश की वैधता और विधिमान्यता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का यह मामला कि अपीलार्थी ने 1,000 रुपये की रिश्वत देकर लोक सेवक को अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध करने के लिए उकसाया, बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष का मामला शिकायतकर्ता के. बी. सिंह, अ.सा.13 के नाम पर तैयार किए गए 1,000 रुपये के ड्राफ्ट और दिनांक 27-10-1988 के पत्र (प्रदर्श.पी-9) पर आधारित है, जबकि अपीलार्थी के इस बहुत ही प्रशंसनीय और संभावित बचाव पर विचार नहीं किया गया है कि रिश्वत की राशि अपीलार्थी द्वारा संबंधित अधिकारी/शिकायतकर्ता के. बी. सिंह, अ.सा.13 को उनकी मांग पर भेजी गई थी, क्योंकि जांच उनके पास लंबित थी और उन्होंने वादा किया था कि यदि यदि 6,000 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो वह जांच मामले में अपीलार्थी को माफ़ कर देगा। अपीलार्थी का यह बचाव, बचाव पक्ष के गवाह यशपाल गुप्ता (ब.सा.1) के साक्ष्य से सिद्ध होता है, जो अभियोजन पक्ष के इस मामले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है कि अपीलार्थी ने लोक सेवक को अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध करने के लिए अवैध रिश्वत लेने के लिए उकसाया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यद्यपि अपीलार्थी ने अपने अभियुक्त बयान में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने शिकायतकर्ता को पत्र सहित मसौदा भेजा था, लेकिन यह इस विशिष्ट बचाव के साथ जुड़ा हुआ है कि यह शिकायतकर्ता द्वारा मांगे जाने पर भेजा गया था, और इसलिए, केवल मसौदा और पत्र भेजने की स्वीकारोक्ति अपराध करने की स्वीकारोक्ति नहीं है और

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2012:CG.SC:9975

अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का अत्याधिक भार है कि अपीलार्थी ने लोक सेवक को 1000 रुपये की रिश्वत देकर अपराध करने के लिए उकसाया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह तर्क है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि शिकायतकर्ता के. बी. सिंह (आ.सा.13) के समक्ष अपीलार्थी के संबंध में कोई विभागीय मामला लंबित था, क्योंकि न तो जांच मामले संख्या 254/88 के अभिलेखों की सामग्री के संबंध में कोई साक्ष्य है, जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा कथित रूप से जब्त किया गया है, और न ही अभियोजन पक्ष इस बात का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर पाया है कि जांच के दौरान कथित रूप से जब्त किए गए अभिलेखों की सामग्री क्या थी या उनमें क्या जानकारी थी, और यह साबित करना तो दूर की बात है कि वे अभिलेख अपीलार्थी के विरुद्ध जांच से संबंधित थे। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह तर्क है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने का भार वहन करने में विफल रहा है कि शिकायतकर्ता के. बी. सिंह (आ.सा.13) को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में अपीलार्थी के विरुद्ध कार्रवाई करने की क्षमता और अधिकार प्राप्त था, जिसके अभाव में अपराध का कोई मामला नहीं बनता है, और इसलिए, अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध के लिए उकसाने का आरोप भी नहीं बनता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि जहां तक जांच से संबंधित सुसंगत अभीलेख का संबंध है, उन दस्तावेजों की जब्ती अत्यधिक संदिग्ध है, क्योंकि स्वतंत्र जब्ती गवाह हरि प्रसाद उसराते, आ.सा.8 ने दस्तावेज़ की ज़ब्ती का समर्थन नहीं किया है और विद्वान विचारण न्यायालय ने, जांच से संबंधित किसी भी अभिलेख की ज़ब्ती का कोई सबूत न होने और अभियोजन पक्ष द्वारा ज़ब्त किए गए और विचारण न्यायालय के समक्ष रखे गए अभिलेख को देखे बिना, यह मान लिया है कि शिकायतकर्ता को अपीलार्थी के खिलाफ विभागीय जांच की जानकारी थी, जिसके संबंध में अपीलार्थी पर 1,000 रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। अंत में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि उकसाने का अपराध वास्तव में भोपाल में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया गया था, यहां तक कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार भी, शिकायतकर्ता-के. बी. सिंह, आ.सा 13, को दिनांक 27-10-1988 का वह पत्र प्राप्त हुआ, जिसे कथित तौर पर अपीलार्थी द्वारा लिखा गया था और भोपाल में शिकायतकर्ता को मसौदे के साथ भेजा गया था। इसलिए, यदि अभियोजन पक्ष के मामले को यथावत भी मान लिया जाए, तो अपराध केवल भोपाल में ही हुआ था, न कि उस स्थान पर जहाँ पत्र लिखा गया था, मसौदा तैयार किया गया था और शिकायतकर्ता को भोपाल में प्राप्त होने के लिए भेजा गया था। अतः, चूंकि अपराध का कोई भी भाग दुर्ग में नहीं हुआ माना जा सकता, इसलिए दुर्ग के विशेष न्यायाधीश के पास कथित अपराध की सुनवाई करने का कोई क्षेत्रीय अधिकारिकता नहीं था, जिससे विचारण और दोषसिद्धि एवं सजा का आक्षेपित विवादित निर्णय दूषित हो जाता है।

6. दूसरी ओर, विद्वान राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता के संबंध में अदालत के समक्ष उठाया गया उपरोक्त मुद्दा मुकदमे की सुनवाई के दौरान कभी नहीं उठाया गया था, और इसलिए, इस स्तर पर, अपीलार्थी को यह मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, विशेष रूप से तब जब अपीलार्थी यह साबित करने में विफल रहा है कि उसे कोई नुकसान हुआ है। उपरोक्त तर्क के अलावा, विद्वान राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि उकसाने का अपराध दुर्ग में किया गया था, जहाँ से अपीलार्थी ने दुराशय से शिकायतकर्ता के नाम पर मसौदा तैयार करवाया और दिनांक 27-10-1988 को पत्र लिखा और पत्र के साथ-साथ मसौदा भी पंजीकृत डाक पावती के माध्यम से भेजने के लिए भेज दिया। शिकायतकर्ता का आधिकारिक पता के. बी. सिंह, पी. आ.सा..13 को भेज दिया । अतः इस प्रकार, अपीलार्थी ने अपने कृत्य का वह भाग पूरा कर लिया,जो उकसाने का अपराध था, यद्यपि अपराध तभी पूर्ण हुआ जब मसौदा और पत्र भोपाल में के. बी. सिंह, . आ.सा.13, जो अपीलार्थी के विरुद्ध जांच कर रहे थे, को प्राप्त हुआ। राज्य के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि अपीलार्थी ने मसौदा और पत्र भेजने की बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की है, इसलिए, अधिनास्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है कि मसौदा/पत्र अपीलार्थी द्वारा तैयार किया गया था और इसे रिश्वत की पेशकश करने वाले अधिकारी को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था, अतः दुष्प्रेरण के अपराध का गठन करने वाले तथ्यों को अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने न केवल के. बी. सिंह (आ.सा. 13) द्वारा रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 5) दर्ज कराने को सिद्ध किया है, बल्कि ठोस मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके यह भी साबित किया है कि अपीलार्थी ने ही बैंक में 1,000 रुपये का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु संबंधित अधिकारी के. बी. सिंह के पक्ष में आवेदन प्रस्तुत किया था, जो अपीलार्थी के विरुद्ध जांच कर रहे थे इसके बाद उन्होंने दिनांक 27-10-1988 को एक पत्र लिखा, जिसे पंजीकृत डाक द्वारा एक लिफाफे में डालकर भेजा गया था। ड्राफ्ट तैयार करने के आवेदन पत्र, दिनांक 27-10-1988 के पत्र और लिफाफे पर अपीलार्थी की लिखावट और हस्ताक्षर को अभियोजन पक्ष ने विशेषज्ञ के ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके सिद्ध किया है कि ये दस्तावेज अपीलकर्ता द्वारा तैयार किए गए थे, और इसलिए अपीलार्थी अपराध का दोषी है। अंत में, यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बचाव पूरी तरह से असंभावित है और संभावनाओं की प्रबलता की कसौटी पर खरा नहीं उतराता है, और इसलिए, दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7.पी. फिलिप्स, (आ.सा.1), उच्च श्रेणी के लिपिक, जो दुर्ग स्थित डिपो में पदस्थ थे, ने गवाही दी कि डिपो प्रबंधक ने अपीलार्थी के मामले से संबंधित फाइलों/ अभिलेखों की मांग की थी और उस फाइल के कुछ कागजात पुलिस द्वारा श्री द्विवेदी जब्त कर लिए गए थे। ज्ञानचंद कोठारी, आ.सा 3 ने गवाही दी है कि दिनांक 27-10-1988 को अपीलकर्ता ने के. बी. सिंह, डिपो मैनेजर के नाम पर 1,000/- रुपये का बैंक

ड्राफ्ट तैयार करवाया और इसके लिए कमीशन सहित 1,005/- रुपये वाउचर के रूप में बैंक में जमा किए। उन्होंने ड्राफ्ट वाउचर और आवेदन पत्र (प्रदर्श पी-3) की जब्ती को साबित किया है। उन्होंने बैंक द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट (प्रदर्श पी- 3(सी)) को यह कहते हुए साबित किया है कि यह ड्राफ्ट उनके बैंक द्वारा दिनांक 27-10-1988 को जारी किया गया था, जिस पर पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक श्री कासलीवाल के हस्ताक्षर और उनका कोड नंबर अंकित है। उन्होंने श्री कासलीवाल के हस्ताक्षरों का सत्यापन और पहचान की है। उन्होंने आगे गवाही दी है कि ड्राफ्ट श्री के. बी. सिंह, डिपो मैनेजर के नाम पर तैयार किया गया था और भोपाल स्थित हबीबगंज शाखा में देय था। हालांकि, जिरह के जरिए उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास किया गया है, लेकिन इस बात का खंडन नहीं किया गया है कि ड्राफ्ट अपीलकर्ता द्वारा तैयार करवाया गया था और ड्राफ्ट की राशि उसी ने जमा की थी। श्री के. बी. सिंह, आ.सा 13, के नाम पर तैयार किए गए 1,000 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के संबंध में दिए गए सबूतों का भी खंडन नहीं किया गया है और यह भी कि ड्राफ्ट संबंधित पंजाब नेशनल बैंक, दुर्ग शाखा से जारी किया गया था, इसका भी खंडन नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. चंद्रकांत फुलझेले, आ.सा.4, क्लर्क कैशियर, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा, दुर्ग, ने भी आवेदन पत्र, प्रदर्श.पी-3(ए) और उसकी प्रति, प्रदर्श.पी-3(बी) पर अपने हस्ताक्षर सत्यापित किए हैं।

9. के.बी. सिंह, आ.सा 13 ने बताया है कि वर्ष 1988 में वे मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल स्थित मुख्यालय में डिपो प्रबंधक, जांच-3 के पद पर पदस्थ थे और दिनांक 31-10-1988 को उनके कार्यालय में एक पंजीकृत पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि अपीलार्थी का कोई मामला उनके पास लंबित है, जिसकी वे जांच कर रहे हैं और उनकी दोषमुक्ति के लिए 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत

किया गया है। इसके तुरंत बाद, उन्होंने इस तथ्य की सूचना उच्च अधिकारियों को दी और एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श.पी-5) बैंक ड्राफ्ट (प्रदर्श.पी-3, पत्र (प्रदर्श.पी-9) और अन्य दस्तावेजों के साथ लोकायुक्त कार्यालय को भेजी गई। अपने बयान के कंडिका 4 में उन्होंने कहा कि प्रदर्श पी -4 के माध्यम से अपीलार्थी के मामले से संबंधित जांच के अभिलेख भी उनसे जब्त किए गए थे। जिरह में यह सुझाव नहीं दिया गया कि अपीलार्थी से संबंधित कोई भी जांच मामला के. बी. सिंह, आ.सा.-13 के पास लंबित था। दूसरी ओर, यह सुझाव दिया गया है कि अपीलार्थी ने विभागीय जांच को बंद करने और माफ़ किए जाने के लिए 1,000 रुपये की मांग की थी। इतना ही नहीं, गवाह ने प्रदर्श.पी-9 (दिनांक 27-10-1988 का पत्र) की सामग्री का भी खंडन किया है, जिसमें अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि वह मुश्किल से 1,000 रुपये जुटा पाया था। कंडिका 9 में उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधान कार्यालय में डिपो प्रबंधक किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त या हटाने के लिए अधिकृत है। अपनी जिरह के कंडिका 12 में उन्होंने कहा है कि उनके लिपिक छोटेलाल को एक लिफाफा मिला था और वही संबंधित लिपिक थे, जिनका कर्तव्य था कि वे उसे प्राप्त करें और उनके सामने रखें। इसके अलावा, अपनी जिरह के कंडिका 15 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मसौदा और पत्र उन्हें दिनांक 31-10-1988 को प्राप्त हुआ था। इसलिए, के. बी. सिंह, आ.सा.-13 के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि के. बी. सिंह अपीलार्थी के विरुद्ध लंबित जांच के प्रभारी थे और उन्हें दिनांक 27-10-1988 का पत्र और 1,000 रुपये का मसौदा दिनांक 31-10-1988 को प्राप्त हुआ था, पत्र की विषय वस्तु जिसमें जांच मामले को बंद करने के लिए रिश्वत की पेशकश के रूप थी। छोटेलाल, आ.सा.-12 ने कंडिका -1 में कहा है कि जांच के अभिलेख और आधिकारिक दस्तावेज कार्यालय से जब्त किए गए थे (प्रदर्श पी-4), जिस पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए हैं। अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि प्रकरण संख्या 254/1988 के अभिलेख (प्रदर्श पी-4) के तहत जब्त किए गए थे। यह मामला बिना टिकट यात्रियों को ले जाने से संबंधित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2012:CG.SC:9975

था। वरिष्ठ डिपो प्रबंधक हरि प्रकाश, आ.सा 5, ने अपने बयान के कंडिका 3 में पहले ही कहा है कि के. बी. सिंह अपीलार्थी द्वारा बिना टिकट यात्रियों को ले जाने के मामले की जांच कर रहे थे। जिरह में इस महत्वपूर्ण साक्ष्य का खंडन नहीं किया गया है।

10.उपरोक्त साक्ष्यों से, जो अभिलेख पर आए हैं, यह स्पष्ट है कि के. बी. सिंह आ.सा.13 के समक्ष एक जांच लंबित थी, जो अपीलार्थी से संबंधित थी। बिना टिकट यात्रियों को ले जाने के कदाचार के आरोप के संबंध था । जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, साक्ष्य से यह भी सिद्ध होता है कि दिनांक 27-10-1988 का पत्र, जिसमें रिश्वत की पेशकश लिखित रूप में थी और जिस पर अपीलकर्ता के नाम से हस्ताक्षर थे, संबंधित जांच अधिकारी के. बी. सिंह, आ.सा.13 के नाम पर जारी किए गए 1,000 रुपये के ड्राफ्ट के साथ प्राप्त हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अभिलेख पर मौजूद पुख्ता और ठोस सबूत यह साबित करते हैं कि दिनांक 27-10-1988 का पत्र (प्रदर्श पी 9) अपीलार्थी द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित किया गया था, और लिफाफे पर लिखावट भी अपीलार्थी की ही थी। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने विशेषज्ञ की राय और सबूतों के माध्यम से यह भी साबित किया है कि बैंक में ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जमा किया गया आवेदन पत्र भी अपीलकर्ता द्वारा ही जमा किया गया था। प्रश्नगत दस्तावेज़ संख्या 1, 2 और 3 के रूप में चिह्नित तीन दस्तावेज़ों को अपीलकर्ता की लिखावट और हस्ताक्षर वाले दस्तावेज़ों के नमूनों (एस-1 से एस-25 तक) के साथ हस्तलेख विशेषज्ञ के पास भेजा गया था। हस्तलेख विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी 35) में स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस व्यक्ति ने दस्तावेज़ एस-1 से एस-25 पर लिखावट और हस्ताक्षर किए हैं, उसी व्यक्ति ने प्रश्नगत दस्तावेज़ संख्या 1 से 3 तक, अर्थात दिनांक 27-10-1988 का पत्र, निकासी फॉर्म और लिफाफे पर लिखावट और हस्ताक्षर किए

हैं। इस न्यायालय ने हस्तलेख विशेषज्ञ ओ. बी. बिलगैय, आ.सा.11 द्वारा दिए गए और सिद्ध किए गए मत (प्रदर्श पी-36) के कारणों का अध्ययन किया है। न्यायालय ने मत के कारणों वाले दस्तावेज़ की अंतरवास्तु की भी जाँच की है और विशेषज्ञ के मत की सत्यता और शुद्धता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। हस्तलेख विशेषज्ञ ओ. बी. बिलगैय, आ.सा.11 ने अपनी योग्यता और 1976 से अपने लंबे अनुभव के बारे में बताया है, साथ ही यह भी बताया है कि उन्होंने विशेषज्ञ के रूप में हजारों दस्तावेजों की जाँच की है और विभिन्न न्यायालयों में गवाह के रूप में पेश हुए हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि जिन नमूना दस्तावेजों की तुलना प्रश्नगत दस्तावेजों से की गई थी, उनमें न केवल पुलिस द्वारा लिए गए नमूना लेखन और हस्ताक्षर शामिल थे, बल्कि कार्यालयिन दायित्वों के निर्वहन में अपीलार्थी द्वारा निष्पादित और तैयार किए गए कई दस्तावेज भी शामिल थे।जब वे कंडक्टर के पद पर तैनात थे, उन्होंने कंडिका 4 में स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी दस्तावेजों की वैज्ञानिक आधार पर बहुत सावधानीपूर्वक और बारीकी से जांच की गई है। उनकी जिरह में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे न्यायालय द्वारा विशेषज्ञ की राय की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न हो सके। विशेषज्ञ की राय संदिग्ध दस्तावेजों की तुलना अपीलार्थी के लेखन और हस्ताक्षर वाले बड़ी संख्या में नमूनों से वैज्ञानिक आधार पर की गई है, और इस न्यायालय के पास रिपोर्ट पर अविश्वास करने या उसकी सत्यता पर किसी भी तरह से संदेह करने का कोई कारण नहीं है, जिसके लिए इस तथ्य को साबित करने के लिए किसी अन्य संपोष्क साक्ष्य की आवश्यकता हो कि दिनांक 27-10-1988 का पत्र, निकाशी प्रपत्र और लिफाफे पर लिखे गए लेख अपीलकर्ता के नहीं थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12.सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपीलार्थी का यह प्रकरण भी नहीं है कि उसने कभी ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं लिखा या उक्त दस्तावेज़ तैयार नहीं किए। यह झूठे फँसाने का मामला नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी ने लिखित रूप में रिश्वत की पेशकश की थी और बैंक ड्राफ्ट भी तैयार किया था। हालाँकि, वर्तमान मामले में,

अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखा है, जिसमें उसने स्वीकार किया है कि उसने दिनांक 27-10-1988 के प्रस्ताव पत्र के साथ अपीलार्थी को भेजे जाने वाले ड्राफ्ट को तैयार किया था। अपने परीक्षण में, अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ड्राफ्ट तैयार किया गया था और पत्र के साथ भेजा गया था और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि शिकायतकर्ता ने इसकी मांग की थी। इसलिए, इस तथ्य के प्रमाण के संबंध में कि ड्राफ्ट अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता के, बी. सिंह, आ.सा.13 के नाम पर तैयार किया गया था और यह कि इसे दिनांक 27-10-1988 के पत्र के साथ भोपाल में संबंधित अधिकारी के पते पर भेजा गया था, जहां इसे प्राप्त किया गया था, यह अभियोजन पक्ष द्वारा निर्विवाद, विश्वसनीय और प्रामाणिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13.अगला प्रश्न, जिस पर इस न्यायालय द्वारा विचार करने की आवश्यकता है, यह है कि क्या अपीलकर्ता का बचाव इतना विश्वसनीय और संभावित है कि अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा हो और अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जा सके।

14.मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ), द्वारा लोकायुक्त से बनाम एल. के. साहू[1] के मामले में, जहां आरोपी बचाव प्रस्तुत करता है, ऐसे मामले में प्रमाण की मात्रा की जांच करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए निम्न अभिनिरधारित किया:

> 15. .....xxxxxxxxx.....
>
> यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष पर आरोपी के अपराध को युक्तियुक्त से परे साबित करने का अत्याधिक भार होता है, लेकिन आरोपी के बचाव की सत्यता का परीक्षण करते समय उसी मात्रा के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आरोपी के बचाव और स्पष्टीकरण की संभावना और संभाव्यता का परीक्षण युक्तियुक्त

[1] दांडिक अपील संख्या 1669 / 1997 , 03-08-2012 को निर्णय लिया गया

से परे के मानदंड को लागू करके नहीं, बल्कि संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर किया जाना चाहिए।

16. **अहेर राजा खिमा बनाम सौराष्ट्र राज्य, एआईआर 1956 एससी 217** के मामले में यह माना गया है कि जब कोई आरोपी व्यक्ति अपने आचरण का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण देता है, तो भले ही वह अपने कथनों को साबित न कर सके, उन्हें सामान्यतः स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि परिस्थितियाँ यह संकेत न दें कि वे झूठे हैं। रिश्वतखोरी के मामले में, अभियोजन पक्ष आरोपी द्वारा राशि की स्वीकृति साबित करता है और यदि राशि किसी भी रूप में विधिक पारिश्रमिक नहीं है, तो तुरंत उपधारणा उद्भूत होता है। हालाँकि, आरोपी संभाव्यता की प्रबलता के माध्यम से दायित्व से उन्मोचित हो सकता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **महेश प्रसाद गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1974 एससी 773 और और त्रिलोक चंद जैन बनाम दिल्ली राज्य, 1979 एससी 666** के मामलों में माना है। रिश्वतखोरी और ट्रैप की कार्यवाही संबंधी मामलों में साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में विधि के सिद्धांत, सामान्यतः, निम्नानुसार हैं -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "क) कि अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने का भार, सामान्यतःअभियोजन पक्ष पर ही होता है, चाहे वह ट्रैप या रिश्वतखोरी का मामला ही क्यों न हो, यह की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम; धारा 4 द्वारा यह भार स्थानांतरित नहीं किया जाता है।" (ख) यह की धारा 4 का सीमित अनुप्रयोग केवल धन लेने के उद्देश्य के संबंध में अनुमान लगाने के लिए है, बशर्ते यह सिद्ध हो जाए कि धन अभियुक्त द्वारा प्राप्त या स्वीकार किया

2012:CG.SC:9975

गया था; (ग) यह की धारा 4 के तहत उपधारणा करते समय भी, स्वीकार करने या प्राप्त करने का कार्य जानबूझकर, स्वेच्छा से और सचेत मन से होना चाहिए; (घ) यह की यदि ऐसा अनुमान लगाया भी जाता है, तो अभियुक्त एक संभावित स्पष्टीकरण और अन्य सिद्धांत की प्रबल संभावना का आधार दिखाकर इसका खंडन कर सकता है; (ङ) यह की अभियुक्त को युक्तियुक्त संदेह से परे साक्ष्य प्रस्तुत करके इस अनुमान का खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि उसे केवल अपने पक्ष में प्रबल संभावना स्थापित करनी है; (च) ट्रैप कार्यवाही के गवाहों को सह-अपराधी मानकर दोषमुक्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन किसी विशेष मामले में न्यायालय उनकी गवाही पर विश्वास करने के लिए स्वतंत्र पुष्टि पर जोर दे सकता है। उदाहरण के लिए, पन्नालाल दामोदर राठी बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1979 एससी 1191 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह टिप्पणी की है कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य की पुष्टि महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 165-क के लागू होने के बाद, जो रिश्वत देने वाले व्यक्ति को रिश्वतखोरी में सहायता करने का दोषी बनाती है, शिकायतकर्ता को सह-अपराधी से बेहतर स्थिति में नहीं रखा जा सकता है और आरोपी को अपराध से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि पर जोर दिया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17.**पंजाबराव बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 2002 SC 486** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह एक सुस्थापित कानूनी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है कि जहां आरोपी कथित राशि की प्राप्ति के लिए स्पष्टीकरण देता है, उसे युक्तिकुत संदेह से परे साबित करके अपना बचाव स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह संभावना की प्रबलता के आधार पर इसे स्थापित कर सकता है। एक अन्य निर्णय में, **टी. सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु राज्य, 2006 (1) क्राइम्स 75** के मामले में, यह माना गया कि यदि राशि प्राप्त करने का कारण स्पष्ट किया गया है और स्पष्टीकरण संभावित और उचित है, तो आरोपी को दोषमुक्त कर दिया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15.अत:,यह जांचना आवश्यक है कि क्या अभियुक्त का बचाव इतना अधिसंभव और तर्कसंगत है, संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर, कि अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो जाता है, जिससे अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करना आवश्यक हो जाता है।

16.इस मामले में पक्षकरो के आचरण की जांच करना आवश्यक है ताकि यह पता लगाया जा सके कि संभावनाओं की प्रबलता किस ओर झुकती है।

17.यदि अपीलार्थी के आचरण की जाँच की जाए, तो अपीलार्थी यह साबित नहीं कर पाया है कि यथापि रिश्वत की गई थी परंतु वह देने को तैयार नहीं था और इसलिए उसने विरोध किया, टालमटोल किया, किसी अधिकारी से शिकायत की या अपने किसी सहकर्मी से अपनी कठिनाइयों को व्यक्त नहीं किया। बचाव पक्ष का यह दावा कि अधिकारी प्रति टिकट 1,000 रुपये की माँग कर रहा था, भी अत्यंत अविश्वसनीय लगता है। इसके अलावा, अपने बचाव बयान में अपीलार्थी ने यह नहीं बताया है कि ऐसी माँग कब की गई थी।

यद्यपि अपीलार्थी ने यशपाल गुप्ता, ब.सा 1, की गवाही के माध्यम से अपना बचाव साबित करने का प्रयास किया है कि उसने शिकायतकर्ता को माँग करते हुए सुना था, लेकिन उसके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अत्यंत असंभव है, जैसा कि अधिनस्थ अदालत ने माना है, कि रिश्वत की ऐसी कोई माँग इतनी खुलेआम और सार्वजनिक रूप से की जाएगी कि अन्य गवाह ऐसी माँग सुन सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि दिनांक 27-10-1988 के पत्र की सामग्री की जाँच की जाए, जो कि अपीलकर्ता द्वारा लिखा गया सिद्ध हुआ है, तो यह पूरी तरह से बचाव का खंडन करता है। पत्र की सामग्री से केवल यह पता चलता है कि अपीलार्थी ने अधिकारी को मामला बंद करने का प्रस्ताव दिया था। यदि यह मांग के अनुसार राशि देने का मामला होता, तो पत्र में इसका कुछ संकेत होता। हालांकि, पत्र की सामग्री, जिसका विद्वान अधिनस्थ अदालत ने विस्तार से उल्लेख किया है, इस बचाव पक्ष के पक्ष में नहीं है कि राशि रिश्वत की मांग के अनुसार भेजी गई थी।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18.दूसरी ओर, पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का आचरण यह दर्शाता है कि पत्र और मसौदा प्राप्त होने के तुरंत बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दी और विशेष पुलिस स्थापना के पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत (प्रदर्श पी 5) भेजी। अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि रिश्वत की मांग का गुप्त सौदा किसी तरह लीक हो गया था और डिपो मैनेजर के. बी. सिंह (आ.सा. 13) के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गईं, जिसके बाद बचाव के तौर पर के. बी. सिंह (आ.सा. 13) ने पुलिस को शिकायत भेजी। यद्यपि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने पत्र (प्रदर्श पी 5) भेजने तक कोई रिपोर्ट न बनाने के अधिकारी के आचरण पर सवाल उठाने का प्रयास किया है, लेकिन अपने जिरह में के. बी. सिंह (आ.सा 13) ने इस देरी के लिए ठोस कारण बताए हैं। उन्होंने अपने बयान के कंडिका 15 में कहा है कि दिनांक 31-10-1988 को मसौदा और पत्र प्राप्त होने के बाद, इसे पूरे विभाग में वितरित किया गया और विभिन्न

कार्यालयों को भी भेजा गया, और अंततः दिनांक 15-11-1988 को उन्हें वापस प्राप्त हुआ। उन्होंने यह भी कहा है कि महीने की 6 से 15/16 तारीख तक वे अवकाश पर थे और अवकाश से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने दिनांक 17-11-1988 को शिकायत (प्रदर्श पी-5) भेजी। इस प्रकार की कार्रवाई में कुछ भी असामान्य नहीं है, क्योंकि साक्ष्य से यह सामने आया है कि पत्र प्राप्त होने के बाद उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया था और यदि मामले को उच्च अधिकारी के पास भेजने, निर्देश प्राप्त करने और फिर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कुछ समय लगा है, तो इससे अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई संदेह नहीं होता है।

19. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का एक अन्य तर्क यह था कि विशेष न्यायाधीश के पास अपराध का विचारण करने का क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है क्योंकि अपराध दुर्ग में कारित नहीं किया गया है को निरस्त करना चाहिए इसका पहला कारण यह है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई आधार नहीं उठाया गया था। इसके अलावा, अपीलार्थी इस न्यायालय को यह समझाने में भी विफल रहा है कि उसे क्या हानि हुई है। अंत में, अपीलार्थी ने मसौदा तैयार करवाकर, पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर और उसे डाक द्वारा दुर्ग में भेजने का अपना कार्य पूरा कर लिया था। यह सच है कि पत्र भोपाल में प्राप्त हुआ था। हालांकि, पत्र की प्राप्ति से अपराध तभी पूरा होता है जब वह भोपाल में प्राप्त होता है। इसलिए, अपराध का एक हिस्सा दुर्ग में भी किया गया था। अतः, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 में निहित प्रावधानों के अनुसार, दुर्ग स्थित न्यायालय को भी इस मामले की सुनवाई करने का क्षेत्रीय अधिकारिता प्राप्त है। इस संबंध में आपत्ति स्वीकार करने योग्य नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि मामला वर्ष 1988 का है और तब से अपीलार्थी मुकदमे की पीड़ा झेल रहा है। और इस परिस्थिति को देखते हुये अपीलार्थी अपनी नौकरी खो चुका है, इसलिए उसे दी गई सजा को केवल जुर्माने तक सीमित किया जा सकता है। न्यायालय इसे स्वीकार नहीं कर

सकता। अपीलार्थी के पक्ष में सजा कम करने के लिए कुछ शमनकारी कारक हो सकते हैं, लेकिन अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के मद्देनजर, जिसमें न्यूनतम छह महीने की सजा का प्रावधान है, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिनस्थ अदालत ने अपीलार्थी को न्यूनतम सजा दी है।

21. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, मुझे अपील में कोई सार नहीं दिखता और यह खारिज किए जाने योग्य है और तदानुसार खारिज किया जाता है। जमानत बंधपत्र और प्रतिभू उन्मोचित किए जाते हैं। अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा, और उसके बाद उसे दोषसिद्धि के अपेक्षित निर्णय और सजा के आदेश के तहत दी गई सजा का शेष भाग भुगताये जाने के लिए जेल भेजा जाए।

सही/-

मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं कियाजाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप हीअभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated bt MS. MAMTA MAHILANGE ADV